भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *110

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत रोगों का पता लगाना

***110. श्री पी. वी. मिथुन रेड्डी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सफलतापूर्वक पता लगाने और उनका इलाज करने के लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सक उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार आरएएन के अंतर्गत आवश्यक उपचार क्षमताओं के सृजन और अनुरक्षण के लिए कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 09 फरवरी, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *110 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

(क) से (घ): राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की एम्ब्रेला योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जानलेवा रोगों से पीडित गरीब रोगियों (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों) के उपचार के लिए और सुपर-स्पेशियलिटी सुविधाओं वाले सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में उपचार लेने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जानलेवा रोगों के विभिन्न प्रकारों का पता लगाने और उपचार क्षमताओं का सृजन एवं अनुरक्षण करना आरएएन की एम्ब्रेला योजना के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। रोगों का पता संबंधित सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में उपचार करने वाले चिकित्सकों /स्पेशियलिट्स द्वारा लगाया जाता है, उसके पश्चात् आरएएन की एम्ब्रेला योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं।

*****